

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

मांग संख्या 92

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	9793.36	277.40	10070.76	8429.99	455.01	8885.00	8429.99	455.01	8885.00	9557.57	546.00	10103.57
वसूलियां	-0.26	...	-0.26
प्राप्तियां
निवल	9793.10	277.40	10070.50	8429.99	455.01	8885.00	8429.99	455.01	8885.00	9557.57	546.00	10103.57
क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	47.92	...	47.92	51.93	...	51.93	53.00	...	53.00	60.00	...	60.00
राष्ट्रीय आयोग												
2. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग	19.08	...	19.08	24.11	...	24.11	24.11	...	24.11	25.00	...	25.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग	4.50	...	4.50	6.30	...	6.30	6.30	...	6.30	8.00	...	8.00
4. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग	6.70	...	6.70	9.46	...	9.46	9.06	...	9.06	10.00	...	10.00
जोड़-राष्ट्रीय आयोग	30.28	...	30.28	39.87	...	39.87	39.47	...	39.47	43.00	...	43.00
5. डीनोटिफाइड, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू संदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड	0.40	...	0.40	1.24	...	1.24
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	78.20	...	78.20	91.80	...	91.80	92.87	...	92.87	104.24	...	104.24
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम/परियोजनाएं												
केंद्रीय छात्रवृत्तियां												
6. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	240.00	...	240.00	360.00	...	360.00	246.66	...	246.66	300.00	...	300.00
7. अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप	30.00	...	30.00	70.00	...	70.00	52.50	...	52.50	120.00	...	120.00
8. अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग	14.88	...	14.88	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00
9. अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा	25.48	...	25.48	40.50	...	40.50	40.50	...	40.50	40.00	...	40.00
10. अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	5.97	...	5.97	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00	20.00	...	20.00
11. अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति	10.00	...	10.00	15.00	...	15.00	26.09	...	26.09	35.00	...	35.00
जोड़-केंद्रीय छात्रवृत्तियां	326.33	...	326.33	535.50	...	535.50	415.75	...	415.75	545.00	...	545.00
12. राष्ट्रीय वयोथी योजना												
12.01 जीबीएस से मिली राशि	106.51	...	106.51	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12.02 घटाएं सीनियर नागरिक कल्याण कोष से मिली राशि
	<i>विवल</i>											
	106.51	...	106.51	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	1.00	...	1.00
13. अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	36.08	...	36.08	70.00	...	70.00	70.00	...	70.00	100.00	...	100.00
14. मेला होने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना	85.76	...	85.76	110.00	...	110.00	99.93	...	99.93	110.00	...	110.00
15. अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	0.01	0.01	...	1.00	1.00
16. वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता	65.08	...	65.08	90.10	...	90.10	100.00	...	100.00
17. शराब और द्रव्य (मादक पदार्थ) का दुरुपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति	80.00	...	80.00	130.00	...	130.00	110.00	...	110.00
18. मादक पदार्थों और द्रव्य के दुरुपयोग, विस्तार पैटर्न और प्रचलन की पहचान के लिए राष्ट्रीय सर्वेक्षण	8.91	...	8.91	0.99	...	0.99
19. सूचना और दूरसंचार प्रकोष्ठ	41.03	...	41.03	45.00	...	45.00	11.00	...	11.00	20.00	...	20.00
20. अनुसंधान, अध्ययन और प्रकाशन	0.57	...	0.57	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
21. भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम	0.50	...	0.50	5.00	...	5.00	25.00	...	25.00	100.00	...	100.00
22. उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम	1.00	...	1.00	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00	10.00	...	10.00
23. सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00	4.00	...	4.00
24. ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता	40.00	...	40.00	30.00	...	30.00	34.00	...	34.00	50.00	...	50.00
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	794.77	0.01	794.78	1029.60	0.01	1029.61	878.69	0.01	878.70	940.00	1.00	941.00
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
स्वायत्त निकाय												
25. बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00	1.00	...	1.00
26. राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान	27.37	...	27.37	25.00	...	25.00	23.93	...	23.93	35.00	...	35.00
जोड़-स्वायत्त निकाय	28.37	...	28.37	26.00	...	26.00	24.93	...	24.93	36.00	...	36.00
सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम												
27. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम	...	137.39	137.39	...	180.00	180.00	...	150.00	150.00	...	180.00	180.00
28. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम	...	30.00	30.00	...	35.00	35.00	...	35.00	35.00	...	40.00	40.00
29. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम	...	100.00	100.00	...	130.00	130.00	...	160.00	160.00	...	200.00	200.00
जोड़-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	...	267.39	267.39	...	345.00	345.00	...	345.00	345.00	...	420.00	420.00
अन्य												
30. अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष	...	10.00	10.00	...	110.00	110.00	...	110.00	110.00	...	125.00	125.00
31. डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक	9.37	...	9.37	5.00	...	5.00	5.00	...	5.00
32. डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र	5.63	...	5.63	15.00	...	15.00	15.00	...	15.00	25.00	...	25.00
जोड़-अन्य	15.00	10.00	25.00	20.00	110.00	130.00	20.00	110.00	130.00	25.00	125.00	150.00
जोड़-केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय	43.37	277.39	320.76	46.00	455.00	501.00	44.93	455.00	499.93	61.00	545.00	606.00
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना												
33. शैक्षिक सशक्तिकरण												
33.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना	5928.16	...	5928.16	2926.82	...	2926.82	2690.00	...	2690.00	2987.33	...	2987.33
33.02 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	115.64	...	115.64	355.00	...	355.00	355.00	...	355.00	700.00	...	700.00
33.03 बालक और बालिका छात्रावास	36.56	...	36.56	107.76	...	107.76	25.00	...	25.00	30.00	...	30.00
33.04 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों की योग्यता उन्नयन	0.01	...	0.01
33.05 अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति	3.12	...	3.12	5.00	...	5.00	30.00	...	30.00	25.00	...	25.00
जोड़- शैक्षिक सशक्तिकरण	6083.48	...	6083.48	3394.59	...	3394.59	3100.00	...	3100.00	3742.33	...	3742.33
34. विशेष केन्द्रीय सहायता												
34.01 अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	897.25	...	897.25	1100.00	...	1100.00	1100.00	...	1100.00	1200.00	...	1200.00
35. नागरिक अधिकार												
35.01 सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना	405.72	...	405.72	530.00	...	530.00	630.00	...	630.00	550.00	...	550.00
36. आजीविका												
36.01 राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम	20.00	...	20.00	30.00	...	30.00	20.00	...	20.00	50.00	...	50.00
37. अवसंरचना विकास												
37.01 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना	167.89	...	167.89	390.00	...	390.00	718.00	...	718.00	700.00	...	700.00
जोड़-अनुसूचित जाति के विकास के लिए अम्ब्रेला योजना	7574.34	...	7574.34	5444.59	...	5444.59	5568.00	...	5568.00	6242.33	...	6242.33
अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम												
38. पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं												
38.01 मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	1000.46	...	1000.46	1360.00	...	1360.00	1397.50	...	1397.50	1415.00	...	1415.00
38.02 मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति	121.84	...	121.84	220.00	...	220.00	220.00	...	220.00	250.00	...	250.00
38.03 बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावास	36.05	...	36.05	30.00	...	30.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00
38.04 आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना	23.00	...	23.00	23.00	...	23.00	13.00	...	13.00	25.00	...	25.00
38.05 विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना	9.00	...	9.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00	10.00	...	10.00
जोड़- पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं	1190.35	...	1190.35	1643.00	...	1643.00	1670.50	...	1670.50	1750.00	...	1750.00
39. अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं												
39.01 राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (मादक पदार्थ) दुरुपयोग निवारण नीति	112.33	...	112.33	135.00	...	135.00	135.00	...	135.00
39.02 वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना	40.00	...	40.00	40.00	...	40.00	200.00	...	200.00
39.03 इग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना	260.00	...	260.00
जोड़- अन्य वंचित समूहों के लिए योजनाएं	112.33	...	112.33	175.00	...	175.00	175.00	...	175.00	460.00	...	460.00
जोड़-अन्य वंचित समूहों के विकास हेतु अम्ब्रेला कार्यक्रम	1302.68	...	1302.68	1818.00	...	1818.00	1845.50	...	1845.50	2210.00	...	2210.00
40. वास्तविक वसूलियां	-0.26	...	-0.26

(₹ करोड़)

	वास्तविक 2018-2019			बजट 2019-2020			संशोधित 2019-2020			बजट 2020-2021		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं	8876.76	...	8876.76	7262.59	...	7262.59	7413.50	...	7413.50	8452.33	...	8452.33
कुल जोड़	9793.10	277.40	10070.50	8429.99	455.01	8885.00	8429.99	455.01	8885.00	9557.57	546.00	10103.57
ख. विकास शीर्ष												
सामान्य सेवाएं												
1. मंत्रिपरिषद	0.02	...	0.02	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
जोड़-सामान्य सेवाएं	0.02	...	0.02	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
सामाजिक सेवाएं												
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	576.70	...	576.70	898.86	...	898.86	754.97	...	754.97	965.04	...	965.04
3. सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	404.16	...	404.16	367.00	...	367.00	321.62	...	321.62	407.00	...	407.00
4. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	47.84	...	47.84	51.89	...	51.89	52.96	...	52.96	59.96	...	59.96
5. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	277.40	277.40	...	455.01	455.01	...	455.01	455.01	...	546.00	546.00
जोड़-सामाजिक सेवाएं	1028.70	277.40	1306.10	1317.75	455.01	1772.76	1129.55	455.01	1584.56	1432.00	546.00	1978.00
अन्य												
6. पूर्वोत्तर क्षेत्र	343.81	...	343.81	343.81	...	343.81	392.00	...	392.00
7. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	8748.47	...	8748.47	6740.09	...	6740.09	6926.79	...	6926.79	7697.93	...	7697.93
8. संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	15.91	...	15.91	28.30	...	28.30	29.80	...	29.80	35.60	...	35.60
जोड़-अन्य	8764.38	...	8764.38	7112.20	...	7112.20	7300.40	...	7300.40	8125.53	...	8125.53
कुल जोड़	9793.10	277.40	10070.50	8429.99	455.01	8885.00	8429.99	455.01	8885.00	9557.57	546.00	10103.57

(₹ करोड़)

	बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता			बजट सहायता		
	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़	आं. ब. बा. सं.	जोड़	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त पोषण और विकास निगम	137.39	...	137.39	180.00	...	180.00	150.00	...	150.00	180.00	...	180.00
2. राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त पोषण और विकास निगम	30.00	...	30.00	35.00	...	35.00	35.00	...	35.00	40.00	...	40.00
3. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त पोषण और विकास निगम	100.00	...	100.00	130.00	...	130.00	160.00	...	160.00	200.00	...	200.00
जोड़	267.39	...	267.39	345.00	...	345.00	345.00	...	345.00	420.00	...	420.00

1. **सचिवालय:** सचिवालय व्यय का प्रावधान है।
2. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
3. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
4. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के स्थापना व्यय हेतु किया गया है।
5. **डीनोटिफाइड, घुमंतू तथा अर्धघुमंतू संदायों के लिए विकास और कल्याण बोर्ड:** यह आबंटन गैर-अधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों हेतु विकास और कल्याण बोर्ड के लिए है।
6. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** यह योजना, अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए एम.फिल/पी.एच.डी. के उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों और वैज्ञानिक संस्थानों में समकक्ष अनुसंधान उपाधि के लिए 2005-06 में शुरु की गई थी। यह योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।
7. **अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप:** इस योजना का उद्देश्य, अन्य पिछड़े वर्गों तथा आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के बीच उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देना है ताकि वे उपयुक्त रोजगार प्राप्त कर सकें।
8. **अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क कोचिंग:** यह प्रावधान अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ी जातियों के विद्यार्थियों को सामान्य श्रेणी के विद्यार्थियों के साथ प्रतियोगी बनाने के लिए कोचिंग प्रदान करने के लिए है और इसको प्रसिद्ध संस्थानों/केंद्रों/यूटी प्रशासनों/विश्वविद्यालयों और निजी क्षेत्र के संगठनों के द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।
9. **अनुसूचित जातियों के लिए उच्च श्रेणी शिक्षा:** इस स्कीम के अंतर्गत, उत्कृष्ट संस्थानों को अधिसूचित किया गया है और इनमें से किसी भी संस्थान में दाखिला लेने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जिसमें उनकी ट्यूशन फीस, जीवन-निर्वाह-खर्च, पुस्तकों और कंप्यूटर संबंधी जरूरतें पूरी होती हैं।
10. **अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।
11. **अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति:** यह प्रावधान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति के लिए किया गया है।
12. **राष्ट्रीय बयोथ्री योजना:** यह केन्द्रीय क्षेत्र का स्कीम है जो वृद्धावस्था संबंधित निश्चिन्ता/अपगंता वाले गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी के वरिष्ठ नागरिक को के लिए भौतिक सहायता और जीवन रक्षा के उपकरण प्रदान करता है।
13. **अनुसूचित जाति के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए सक्षम और विश्वसनीय स्वैच्छिक संगठनों की सेवाओं का उपयोग करना है। इस योजना के अंतर्गत सामान्य/तकनीकी/व्यावसायिक शिक्षा की सुविधाओं को चलाने वाली गतिविधियों, चिकित्सा केंद्रों, औषधालयों जैसी सेवा गतिविधियों तथा विभिन्न वाणिज्यिक व्यवसायों के तकनीकी प्रशिक्षण जैसी आय सृजक गतिविधियों की प्रत्येक परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक सहायता स्वैच्छिक संगठनों को दी जाती है।
14. **मेला होने वालों के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य समयबद्ध तरीके से शेष मेला होने वालों तथा उनपर आश्रितों का पुनर्वास करना है। इस स्कीम के अंतर्गत स्वविकास अथवा रोजगार के लिए लाभार्थियों को ऋण, सन्निडी और प्रशिक्षण मुहैया कराया जाता है।
15. **अनुसूचित जाति के लिए ऋण गारंटी कोष:** इस प्रावधान में अनुसूचित जातियों के लिए आईएफसीआई के माध्यम से क्रेडिट गारंटी निधि शामिल है।
16. **वृद्धों से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता:** इस स्कीम में वृद्धावस्था डे-केयर केंद्रों को चलाने और उसके रखरखाव के लिए परियोजना लागत के 90 प्रतिशत तक वित्तीय सहायता दी जाती है।
17. **शराब और द्रव्य (मादक पदार्थ) का दुरुपयोग रोकने के लिए राष्ट्रीय नीति:** शराब और द्रव्य (मादक पदार्थ) दुरुपयोग रोकथाम योजना से संबंधित व्यय के लिए प्रावधान है।
17. **सूचना और दूरसंचार प्रकोष्ठ:** यह प्रावधान सूचना और जन शिक्षा प्रकोष्ठ से संबंधित व्यय के लिए है।
20. **अनुसंधान , अध्ययन और प्रकाशन:** यह प्रावधान अनुसंधान अध्ययन और प्रकाशन से संबंधित व्यय के लिए है।
21. **भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम:** यह प्रावधान भिखारियों के पुनर्वास हेतु एकीकृत कार्यक्रम से संबंधित व्यय के लिए है।
22. **उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम:** यह प्रावधान उभयलिंगी व्यक्तियों के लिए स्कीम के व्यय के लिए है।
23. **सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता:** यह प्रावधान सामाजिक सुरक्षा सेवा प्रदान करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता संबंधी व्यय के लिए है।
24. **ओबीसी के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक समूहों को सहायता:** यह प्रावधान ओबीसी की शैक्षणिक और सामाजिक आर्थिक दशाओं में सुधार लाने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान देने के लिए है। इस स्कीम के तहत अनुमोदित व्यय का 90 प्रतिशत भाग केंद्र सरकार द्वारा और शेष 10 प्रतिशत स्वैच्छिक संगठनों द्वारा वहन किया जाता है।
25. **बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ:** यह प्रावधान बाबा साहेब डॉ. भीम राव अंबेडकर संघ के लिए है।
26. **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान संबंधी व्यय के लिए है।
27. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।
28. **राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।
29. **राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम:** यह प्रावधान राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम को शेयर पूंजी प्रदान करने के लिए है।

30. **अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए उपक्रम पूंजी कोष:** यह प्रावधान में आइएफटीआई के माध्यम से अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए उपक्रम पूंजी निधि सम्मिलित है।

31. **डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक:** यह प्रावधान डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए है।

32. **डॉ. बी.आर. अंबेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र:** यह प्रावधान डॉ. बी.आर. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र और डॉ. अम्बेडकर राष्ट्रीय स्मारक के लिए है।

33.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना:** इस स्कीम का उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद या माध्यमिक स्तर की शिक्षा के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए और उन्हें अपनी शिक्षा को पूरी करने के सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

33.02. **अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य कक्षा 9 और 10 में पढ़ रहे अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा के लिए उनके माता-पिता को सहायता प्रदान करना है ताकि स्कूल छोड़ने की समस्या, विशेष तौर पर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर की शिक्षा के दौरान, को दूर किया जा सके।

33.03. **बालक और बालिका छात्रावास:** अनुसूचित जाति के उन छात्रों के लिए छात्रावास भवन के निर्माण हेतु संघ राज्य क्षेत्रों को 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता और केंद्रीय विश्वविद्यालयों को 90 प्रतिशत तथा अन्य विश्वविद्यालयों को 45 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है जो शिक्षा के माध्यमिक और उच्चतर स्तर में अध्ययनरत हैं। संघ राज्य क्षेत्रों, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों को नए छात्रावास भवन के निर्माण और मौजूदा छात्रावास भवन के विस्तार हेतु 100 प्रतिशत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। निजी क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों और मानद विश्वविद्यालयों को अपने मौजूदा बालिका छात्रावासों के विस्तार हेतु अनुमानित लागत की 90 प्रतिशत तक की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

33.05. **अस्वच्छ व्यवसायों और स्वास्थ्य के लिए हानिकार कार्यों में संलग्न व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य निम्नलिखित लक्षित समूहों के बच्चों को मैट्रिक पूर्व शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है -

(i) मैला ढोने वाले (ii) सफाई कर्मचारी (iii) चर्मकार (iv) फ्लेयर (v) मैन होल और खुले नाले को साफ करने वाले और (vi) कूड़ा बीनने वाले

34.01. **अनुसूचित जाति उप-स्कीमों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता:** इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जाति वर्गों के आर्थिक विकास कार्यक्रमों को विशेष बल देना है। इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विशेष केंद्रीय सहायता प्रदान की जा रही है जो अनुसूचित जातियों की उपयोजना का निर्धारण और क्रियान्वयन कर रहे हैं। अनुसूचित जातियों के युवाओं के लिए उच्च आय सृजन क्रियाकलापों में अपने सामर्थ्य और उत्कृष्टता को साबित करने के लिए नए उभरते क्षेत्रों में क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के मौजूदा प्रारूप के भीतर बल दिया जा रहा है।

35.01. **सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1995 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रवर्तन हेतु तंत्र को मजबूत बनाना:** अनन्य रूप से विशेष न्यायालयों की स्थापना और संचालन, अंतरजातीय विवाह हेतु प्रोत्साहन, अत्याचार पीड़ितों को राहत और इनका पुनर्वास और इनमें जागरूकता सृजन के माध्यम से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों हेतु संरक्षण प्रकोष्ठ और विशेष पुलिस स्टेशनों के संचालन और सुदृढीकरण के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

36.01. **राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम:** यह प्रावधान राज्य अनुसूचित जाति विकास निगम के लिए है।

37.01. **प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना:** यह प्रावधान प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के लिए है।

38.01. **मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर या माध्यमिक स्तर के पश्चात् की शिक्षा से लेकर पी.एच.डी. डिग्री तक अपनी शिक्षा को पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

38.02. **मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति:** इस स्कीम के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

38.03. **पिछड़े वर्गों के लिए योजनाएं:** इस स्कीम का उद्देश्य अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को बेहतर शैक्षणिक अवसर सुहाय्य कराना है।

38.04. **आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना:** यह प्रावधान आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास के लिए योजना के लिए है।

38.05. **विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के विकास के लिए योजना:** यह प्रावधान विमुक्त और घुमन्तू जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक विकास की स्कीम के लिए है।

39.01. **राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (मादक पदार्थ) दुरुपयोग निवारण नीति:** यह आवंटन राष्ट्रीय मद्यपान और नशीले पदार्थ (दवा) दुरुपयोग निवारण नीति के लिए किया गया है।

39.02. **वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना:** यह प्रावधान वरिष्ठ नागरिकों हेतु राष्ट्रीय कार्य नीति के लिए बनाया गया है।

39.03. **ड्रग की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्ययोजना:** यह आवंटन नशीली दवा की मांग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के लिए है।